पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 अप्रैल, 2014 ई0 (चैत्र 15, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–14

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	207–212	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	105–109	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	07–13	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

04 मार्च, 2014 ई0

संख्या 559/VII-1/2014/146-ख/2010–शासनादेश संख्या 309/VII-1/2014/146-ख/2010, दिनांक 06 फरवरी, 2014 के क्रम में जनपद रूद्रप्रयाग एवं जनपद बागेश्वर में ऐसे खनन लांट जो कि निविदा प्रणाली के माध्यम से अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाये हैं तथा वर्तमान में जारी दूसरी विज्ञप्ति के उपरान्त जो लांट आवंटन से छूट जायेंगे उन लांटों को न्यूनतम ₹125 प्रति टन के आधार मूल्य पर सीमा सड़क संगठन एवं आई0टी0बी0पी0 को राज्य में विगत वर्ष आपदा के कारण क्षति ग्रस्त हुये मार्गों को पुनर्स्थापित किये जाने के दृष्टिगत उपखनिज की आपूर्ति कर सड़क निर्माण किये जाने हेतु 03 वर्ष के लिए आवंटित किये जाने तथा आपदा प्रभावित 05 जनपदों यथा जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग एवं बागेश्वर में सीमा सड़क संगठन एवं आई0टी0बी0पी0 के अतिरिक्त आपदा पुनर्निर्माण में कार्यरत सरकारी कार्यदायी संस्थाओं को आपदा प्रभावित जनपदों के ऐसे खनन लांट जो कि निविदा प्रणाली के माध्यम से अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाये हैं तथा वर्तमान में जारी दूसरी विज्ञप्ति के उपरान्त भी आवंटन से छूट जायेंगे, उन लांटों को न्यूनतम ₹ 125 प्रति टन के आधार मूल्य पर 03 वर्ष के लिए आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–1

अधिसूचना

26 फरवरी, 2013 ई0

संख्या 296/XX(1)-2014-9(15)2013–दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1946) की धारा 6 के प्राविधानों के अनुसार, उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल महोदय, एतद्द्वारा स्व0 अर्चना जैन पत्नी श्री अनिल कुमार जैन, ग्राम/पोस्ट पुरोला, जनपद उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड की हत्या के सम्बन्ध में थाना पुरोला, जनपद उत्तरकाशी में पंजीकृत मु0अ0सं0 12/2013 धारा 302/120बी/34 भा0द0वि0 के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुए या सम्बन्धित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषण के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल महोदय के आदेश तथा उनकी ओर से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 296/XX(1)-2013-9(15)2013** dated February 26, 2014 for general information.

NOTIFICATION

February 26, 2014

No. 296/XX(1)-2013-9(15)2013--In pursuance of the provisions of section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of State of Uttarakhand is pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for the investigation of case Crime No. 12/2013 u/s 302, 120B, 34 IPC registered at Police Station Purola, Uttarakashi, Uttarakhand, and attempts, abetment and conspiracy in relation to or in connection with the above mentioned offence and any other offence of offences committed in the course of the same transaction or/and arising out of the same facts of the said case.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF UTTARAKHAND,

OM PRAKASH,
Principal Secretary, Home.

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

04 मार्च, 2014 ई0

संख्या 256/XXVIII-2/04(216)2001–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 2002 की धारा 14(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद् की द्वितीय कार्यकारिणी के रजिस्ट्रार (निबन्धक) पद हेतु डा0 वाई0एस0 बिष्ट को नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

04 मार्च, 2014 ई0

संख्या 256(1)/XXVIII-2/04(216)2001–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 2002 की धारा 21(1)(चार) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद् की द्वितीय कार्यकारिणी की अनुशासनिक समिति के अन्तर्गत जन प्रतिनिधि के रूप में श्री अनिल गुप्ता, पुत्र स्व0 श्री पी0 सी0 गुप्ता, 39/4, टैगोर कालोनी, देहरादून को नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

25 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 540/XXXI(1)/2013–तात्कालिक प्रभाव से सचिवालय सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 5400 के रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री नागेश सिंह नेगी,
2. श्री सुनील कुमार डोभाल,
3. श्री सूरज सिंह बिष्ट,
4. श्री अर्जुन सिंह नपलच्याल,
5. श्री दयाल सिंह बांगड़ी,
6. श्री अजीमुद्दीन,
7. श्री मदन मोहन जुगरान,
8. श्री गिरीश चन्द्र जोशी,
9. श्रीमती बीना कपूर,
10. श्री प्रदीप कुमार,
11. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी,
12. श्री मोहन सिंह कुंवर,
13. श्रीमती कुसुम मलेठा,
14. श्रीमती कमलेश जोशी,
15. श्रीमती सुधा नेगी,
16. श्रीमती मीना पन्त,
17. श्री देवेन्द्र प्रसाद,
18. श्री कैलाश चन्द्र सुन्दरियाल,
19. श्री हर्षमणि भट्ट,
20. श्री सुनील कुमार बोरा,
21. श्रीयुत श्रीधर नैथानी,
22. श्री शशि प्रसाद भट्ट,
23. श्री रियासत अली,
24. श्री विजय कुमार नैथानी,
25. श्री महेन्द्र सिंह नेगी,
26. श्री देवेन्द्र रावत,
27. श्री राकेश नन्दवानी,
28. श्री गिरीश चन्द्र भट्ट,
29. श्री शेखर चन्द्र पाण्डे,
30. श्री प्रयाग सिंह,

31. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी,
32. श्री एम0आर0 कुकरेती,
33. श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी,
34. श्री हयात सिंह,
35. श्री जोरा सिंह,
36. श्री चिरंजीलाल रतूड़ी,
37. श्री सुरेन्द्र दत्त बेलवाल,
38. श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा,
39. श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान,
40. श्री मनसा राम सेमवाल,
41. श्री विपिन चन्द्र जोशी,
42. श्री भगत सिंह नेगी,
43. श्री विपिन चन्द्र पन्त,
44. श्री दलीप सिंह फरस्वाण,
45. श्रीमती ज्योति बाला,
46. श्री बिजेन्द्र सिंह रावत,
47. श्री कंठी सिंह रावत,

2. पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. पदोन्नति के फलस्वरूप उल्लिखित अधिकारियों के तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन है। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सविचालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

5. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013(एस/एस) धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा मा0 लोक सेवा अधिकरण देहरादून में निर्देश याचिका संख्या 92/2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं इस सम्बन्ध में अन्य योजित याचिकाओं में मा0 न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,

चन्द्र सिंह नपलच्याल,
सचिव।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

24 मार्च, 2014 ई0

संख्या 852/XXXI(1)/2014–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के लेखा संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी (लेखा) को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव (लेखा) वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री प्रमोद कुमार सनवाल,
2. श्री प्रदीप सिंह रावत,
3. श्री सतीश चन्द्र जोशी

2. उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. अनुसचिव (लेखा) के पद पर पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी शासन के अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

सी0 एम0 एस0 बिष्ट,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 हिन्दी गजट/320—भाग 1—2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 अप्रैल, 2014 ई0 (चैत्र 15, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय–सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार

कार्यालयादेश

07 नवम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 91/टी0आर0/UP-20D-7317/2013–वाहन सं0 UP-20D-7317 पिकअप मॉडल–1999 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 054294 इंजन नं0 RF71901 है। वाहन के पूर्ण रूप से मार्ग पर संचालित न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में समर्पण कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है। वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय में प्रस्तुत की है, जिसे कार्यालय संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा अपने समक्ष विनिष्ट कर दिया गया है।

अतः वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, सुनील शर्मा, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम–1988 के नियम–55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UP-20D-7317 पिकअप का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

सुनील शर्मा,
सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) हरिद्वार।

कार्यालयादेश

07 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 92/टी0आर0/UK08TA-0143/2013–वाहन सं0 UK08TA-0143 बस विक्रम टेम्पो मॉडल–2008 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 447008481AZ इंजन नं0 A7M0144205 है। वाहन के पूर्ण रूप से मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 05–12–2013 में समर्पण कराकर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम–1988 के नियम–55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UK08TA-0143 विक्रम टेम्पो का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

07 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 94 / टी0आर0 / UGA-8271/2013–वाहन सं0 UGA-8271 भार वाहन मॉडल–1974 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 3440024720550 इंजन नं0 692D014721170 है। वाहन के पूर्ण रूप से मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 28–09–2013 में समर्पण कराकर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः, वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम–1988 के नियम–55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UGA-8271 भार वाहन का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

मनीष तिवारी,
सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) हरिद्वार।

कार्यालयादेश

07 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 95 / टी0आर0 / CH01R-9095/2013–वाहन सं0 CH01R-9095 बस मॉडल–1994 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 35935KVQ120441 इंजन नं0 F697D28JVQ127626 है। वाहन के पूर्ण रूप से मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 31–08–2013 में समर्पण कराकर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः, वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, सुनील शर्मा, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम–1988 के नियम–55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 CH01R-9095 बस का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

07 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 96 / टी0आर0 / UA07F-4032/2013–वाहन सं0 UA07F-4032 बस मॉडल–1995 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 3595350HUQ0725372 इंजन नं0 697D26HUQU723293 है। वाहन के पूर्ण रूप से मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 28–11–2013 में समर्पण कराकर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः, वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, सुनील शर्मा, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम–1988 के नियम–55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UA07F-4032 बस का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

07 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 97 / टी0आर0 / UA08A-6499/2013–वाहन सं0 UA08A-6499 टैक्सी कैब मॉडल–1995 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 727554 इंजन नं0 135577 है। वाहन के पूर्ण रूप से मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा कबाड़ी को विक्रय कर दिया गया है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 29–11–2013 में समर्पण कराकर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः, वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, सुनील शर्मा, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम–1988 के नियम–55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UA08A-6499 टैक्सी कैब का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

सुनील शर्मा,
सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) हरिद्वार।

कार्यालयादेश

10 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 98 / टी0आर0 / UA08A-1949/2013–वाहन सं0 UA08A-1949 टैक्सी कैब मॉडल–2002 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 AEB852408 इंजन नं0 6EPEB053772 है। वाहन के पूर्ण रूप से मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 28–11–2013 में समर्पण कराकर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः, वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम–1988 के नियम–55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UA08A-1949 टैक्सी कैब का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

10 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 99 / टी0आर0 / URM-8771/2013–वाहन सं0 URM-8771 भार वाहन मॉडल–1983 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 344073767642 इंजन नं0 697D01770779 है। वाहन के पूर्ण रूप से मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 21–09–2013 में समर्पण करा दिये गये हैं। वाहन को कबाड़ी को विक्रय कर बिक्री प्रमाणपत्र, सहित वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। वाहन की चेसिस प्लेट को कार्यालय सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) द्वारा अपने समक्ष विनिष्ट कर दिया गया है।

अतः, वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम–1988 के नियम–55(1) में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 URM-8771 भार वाहन का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

11 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 100 / टी0आर0 / UA08B-9680/2013–वाहन सं0 UA08B-9680 ऑटो रिक्शा मॉडल–2003 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 34200 29602397 इंजन नं0 3129159602397 है। वाहन की निर्धारित आयु सीमा पूर्ण हो जाने एवं वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन के प्रपत्र कार्यालय में

दिनांक 28–06–2013 में समर्पण किये गये हैं। वाहन के प्रपत्र सम्पर्ण के साथ वाहन की चेसिस प्लेट काट कर कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु वाहन स्वामी द्वारा आवेदन किया गया है। वाहन की चेसिस प्लेट को कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) द्वारा अपने समक्ष विनिष्ट कर दिया गया है।

अतः, वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम–1988 के नियम–55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UA08B-9680 ऑटो रिक्शा का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

16 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 101/टी0आर0/UP07C--4837/2013–वाहन सं0 UP07C--4837 भार वाहन मॉडल–1990 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 344073336985 एवं इंजन नं0 692D01347359 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 09–12–2013 में समर्पण करा किये गये हैं। वाहन स्वामी द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट काटकर कार्यालय में सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रा0वि0) के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः, वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम–1988 के नियम–55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UP07C--4837 भार वाहन का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

16 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 102/टी0आर0/UA-08B-9906/2013–वाहन सं0 UA-08B-9906 ऑटो रिक्शा मॉडल–2003 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 KEMPL1493C03 एवं इंजन नं0 A3J01390 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 12–12–2013 में समर्पण करा किये गये हैं। वाहन स्वामी द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट काटकर कार्यालय में सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार मोटरयान अधिनियम–1988 के नियम–55(1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UA-08B-9906 ऑटो रिक्शा का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

16 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 103/टी0आर0/UA-08-1799/2013–वाहन सं0 UA-08-1799 डिलिवरी वैन मॉडल–2001 इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 070095 एवं इंजन नं0 RG 86951 है। वाहन के पूर्ण रूप से मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 13–12–2013 में समर्पण करा दिये गये हैं। वाहन स्वामी द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट काटकर कार्यालय में सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः, वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम–1988 के नियम–55(1) में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UA-08-1799 डिलिवरी वैन का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

मनीष तिवारी,

सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) हरिद्वार।

कार्यालय–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

कार्यालय ज्ञाप

16 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 4299/आयु0करउत्तरा0/वा0क0/वि0–अनु0/पत्रा0 25(2010–11)/13–14/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक विकास शाखा के पत्र संख्या 2915/औ0वि0–1/2001–2002 दिनांक 02–03–2002 से वित्त विभाग द्वारा प्रख्यापित विज्ञप्ति संख्या–6222 वि0क0नि0/12–2001/देहरादून दिनांक 25–07–2001 के प्रयोजनार्थ प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी विनियोजन की दृष्टि से मात्र औद्योगिक इकाइयों के निर्धारण हेतु प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी विनियोजन के अवधारण के लिये ₹ 1.00 करोड़ से अधिक पूंजी विनियोजन वाली इकाइयों के मामलों में जिला स्तर पर समिति के गठन की व्यवस्था की गई है, जिसमें निम्नलिखित दो सदस्य होंगेः–

1– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।

2– सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) व्यापार कर।

उपरोक्त समिति में व्यापार कर विभाग के जिला स्तर के अधिकारी को कार्यालय ज्ञाप संख्या–1191/दिनांक 04–07–2002 एवं पत्र सं0–135/17–04–2004 से नामित किया गया था। अतः, इन दोनों कार्यालय ज्ञापों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है व समिति के गठन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख अंकित करते हुये अधिकार क्षेत्र के लिये सदस्य नामित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चत करें।

क्र0सं0	प्राधिकारी का पद नाम	अधिकार क्षेत्र
1.	समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), वाणिज्य कर	अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी इकाईयां
2.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर, ऋषिकेश	उत्तरकाशी सर्किल
3.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर, कोटद्वार	गोपेश्वर सर्किल, श्रीनगर सर्किल
4.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर, खटीमा	पिथौरागढ़ सर्किल, टनकपुर सर्किल
5.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–1 वाणिज्य कर, हल्द्वानी	बागेश्वर सर्किल, अल्मोड़ा सर्किल
6.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–2 वाणिज्य कर, हल्द्वानी	रामनगर सर्किल
7.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–3 वाणिज्य कर, हल्द्वानी	नैनीताल सर्किल

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 हिन्दी गजट/320–भाग 1–क–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 अप्रैल, 2014 ई0 (चैत्र 15, 1936 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल

विज्ञप्ति

म्यूनिसिपलिटीज ऐक्ट 1916 (उत्तराखण्ड) की धारा 298 (2) जे0डी0 जैसा के नगर पंचायत, मुनिकीरेती पर प्रवृत्त होती है, की अपेक्षानुसार नगर पंचायत, मुनिकीरेती अपनी सीमान्तर्गत पार्किंग स्थल व पार्किंग शुल्क सम्बन्धित जिसे नियमावली संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, उनका निम्नलिखित प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा 301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ तथा सुझाव आमन्त्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जाती है।

1. प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में समस्त आपत्तियाँ एवं सुझाव अध्यक्ष नगर पंचायत, मुनिकीरेती को सम्बोधित और लिखित रूप से प्रेषित किये जाने चाहिए, केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस नियमावली के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि के एक माह के अन्दर प्राप्त होंगे।

2. पार्किंग शुल्क 4 का संशोधन–उत्तराखण्ड गजट 24 जुलाई, 2010 ई0 नियमावली 209/ग0पा0/2010–सं0 161/22 उपविधि 2010 के साथ प्रकाशित नगर पंचायत, मुनिकीरेती, जिला–टिहरी गढ़वाल में पार्किंग स्थल व पार्किंग नियमावली के उपनियम के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये नियम लागू किये जायेंगे।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 संशोधित नियम
उपरोक्त स्थानों के पार्किंग के रूप में प्रयोग करने पर निम्नलिखित दरों पर पार्किंग शुल्क देय होगा।	उपरोक्त स्थानों के पार्किंग के रूप में प्रयोग करने पर निम्नलिखित दरों पर पार्किंग शुल्क देय होगा।
प्रतिदिन–	प्रतिदिन–
1. मोटर लारी बस या ट्रक या ट्रैक्टर भारी वाहन– ₹ 50.00 प्रतिदिन	1. मोटर लारी बस या ट्रक या ट्रैक्टर भारी वाहन– ₹ 100.00 प्रतिदिन
2. मैटाडोर/मिनी बस, मिनी ट्रक, टैक्सी, कार, जीप, स्टेशन बैगन– ₹ 30.00 प्रतिदिन	2. मैटाडोर/मिनी बस, मिनी ट्रक, टैक्सी, कार, जीप, स्टेशन बैगन– ₹ 50.00 प्रतिदिन
3. विक्रम, थ्री व्हीलर– ₹ 15.00 प्रतिदिन	3. विक्रम, थ्री व्हीलर– ₹ 20.00 प्रतिदिन
4. तांगा– ₹ 15.00 प्रतिदिन	4. तांगा– ₹ 20.00 प्रतिदिन
5. स्कूटर, मोटर साईकिल– ₹ 10.00 प्रतिदिन	5. स्कूटर, मोटर साईकिल– ₹ 20.00 प्रतिदिन
6. साईकिल– ₹ 5.00 प्रतिदिन	6. साईकिल– ₹ 5.00 प्रतिदिन

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत, मुनिकीरेती, टि0ग0।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, मुनिकीरेती टि0ग0।

कार्यालय नगर पंचायत, मुनिकीरेती, टिहरी–गढ़वाल

सार्वजनिक सूचना

15 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 358/पंजीकरण–उपविधि/2013–2014–नगर पंचायत, मुनिकीरेती, जनपद–टिहरी गढ़वाल द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 की धारा–298(2) लिस्ट जे0(डी0) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, मुनिकीरेती के निर्माण कार्यों के सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियन्त्रण के लिए ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि बनायी गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। उनसे आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। अतः समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी। बादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं होगा।

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2013

1–परिभाषाएँ–

(1) यह उपविधि नगर पंचायत, मुनिकीरेती, जनपद–टिहरी गढ़वाल के ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2013 कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी।

(2) निकाय–निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत, मुनिकीरेती से है।

(3) बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत, मुनिकीरेती के निर्वाचित सदस्यों से है।

(4) अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।

(5) अध्यक्ष–अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, मुनिकीरेती के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(6) अधिशासी अधिकारी–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, मुनिकीरेती से है।

(7) पंजीकरण–पंजीकरण का तात्पर्य नगर पंचायत, मुनिकीरेती द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण से है।

(8) ठेकेदार–ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत, मुनिकीरेती में समस्त निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हों, को करने के इच्छुक व्यक्ति से है।

(9) श्रेणी–श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

2–पंजीकरण की प्रक्रिया–

नगर पंचायत के निर्माण कार्य (सड़क/नाली/नाला/पुस्ता/अन्य) एवं भवन के निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियां होंगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तों/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण कर सकता है:–

(1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत सीमान्तर्गत या जनपद–टिहरी में कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो, अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण–पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो सहित देनी होगी।

(2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः महीने की अवधि के अन्दर का हो)।

(3) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है)

अ–प्रथम श्रेणी के लिए	15.00 लाख
ब–द्वितीय श्रेणी के लिए	10.00 लाख
स–तृतीय श्रेणी के लिए	5.00 लाख

(4) प्रथम श्रेणी में–पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद्, जल संस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली/नाला आदि एवं भवन निर्माण का 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में ₹ 2.00 करोड़ के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियन्ता एवं टी0एण्ड0पी0 (मिक्सचर मशीन/बाईबरेटर/जे0सी0पी0/रोड रोलर/प्रिमीक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होंगे। अनुभव प्रमाण–पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

(5) द्वितीय श्रेणी में–पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा)।

(6) तृतीय श्रेणी में–पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।

(7) प्रत्येक ठेकेदार का आयकर एवं व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है, तथा आयकर एवं व्यापार कर का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

3–जमानत–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) तथा किसान विकास पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।

अ–प्रथम श्रेणी के लिए	50,000.00
ब–द्वितीय श्रेणी के लिए	30,000.00
स–तृतीय श्रेणी के लिए	20,000.00

4–पंजीकरण शुल्क–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप में नगर पंचायत, मुनिकीरेती के कोष में जमा करनी होगी।

अ–प्रथम श्रेणी के लिए	10,000.00
ब–द्वितीय श्रेणी के लिए	5,000.00
स–तृतीय श्रेणी के लिए	3,000.00

5–पंजीकरण की अवधि–

प्रत्येक वर्ष में मात्र माह अप्रैल से जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप ₹ 100.00 नगर पंचायत कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6–नवीनीकरण की प्रक्रिया–

ठेकेदारों को प्रत्येक 2 वर्ष में निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगाः–

(1) नवीनीकरण की अवधि 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी। इसके पश्चात् नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह ₹ 1,000.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा।

(2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर जिसका मूल्य ₹ 100.00 होगा, नगर पंचायत कार्यालय से क्रय कर विगत वर्ष में किये गये विवरण कार्यों का विवरण देना होगा।

(3) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार पंचायत कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यों के विवरण पर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगीः–

अ–प्रथम श्रेणी के लिए	1000.00
ब–द्वितीय श्रेणी के लिए	500.00
स–तृतीय श्रेणी के लिए	300.00

(4) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है।

(5) नवीनीकरण के आवेदन–पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः माह की अवधि के अन्दर का हो) तथा तीन वर्ष बाद नवीनतम हैसियत प्रमाण–पत्र/नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत् हो तो उसके लिये शपथ–पत्र देना होगा।

7–निर्माण के सम्पादन की सीमा–

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः–

(1) प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ₹ 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(3) तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ₹ 5.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

8–निविदा प्रपत्र की लागत–

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आंगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगाः–

कार्यों की लागत (रुपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रुपये में)
अ–50,000.00 तक	100.00
ब–50,000.00 से 1,00,000.00 तक	200.00
स–1,00,000.00 से 2,00,000.00 तक	400.00
द–2,00,000.00 से 4,00,000.00 तक	500.00
य–4,00,000.00 से 8,00,000.00 तक	800.00

र–8,00,000.00 रुपये से ऊपर के कार्यों के प्रपत्र कर मूल्य प्रति 10,000.00 रुपये पर 10.00 रुपये के हिसाब से गणना कर निर्धारित किया जायेगा।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत से निविदा प्रपत्र नगद मूल्य देकर खरीदेगा निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेचा जायेगा।

9–निविदा स्वीकार करने का अधिकार–

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा, किन्तु यदि न्यूनतम निविदा आंकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा। निविदा डालने के 6 माह तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

10–धरोहर राशि–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ती (प्रक्यूरमेंट) नियम 2008 में किये गये प्राविधान के अनुसार स्थायी जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र एवं एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम बन्धक देनी होगी।

11–ठेकेदार का भुगतान–

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। जमानत राशि का भुगतान 6 माह बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा।

12–कार्य पूर्ण करने की अवधि–

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह निविदा फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करें। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना–पत्र दिया गया हो तो अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने कर स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती हैं यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती हैं ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से अन्तिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नहीं हो पाने की स्थिति में दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भाँति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।

13–पंजीकरण का निरस्तीकरण–

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य संतोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची में ला सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान नगर पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा।

14–जमानत जब्त करने का अधिकार–

यदि ठेकेदार नगर पंचायत उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध–पत्र का उल्लंघन कर नगर पंचायत को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी पंचायत की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

बी0एल0 आर्य,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, मुनिकीरेती।

शिवमूति कण्डवाल,

अध्यक्ष
नगर पंचायत, मुनिकीरेती।

INFORMATION

I, Thakur Joginder Singh S/o Late Shri Thakur Sant Ram Singh R/o H.No. D-20, Durga Colony, Roorkee, Distt. Haridwar (U.K.), That Civil Judge (J.D.) Roorkee, Case No. 40/2011, Dt. 19-02-2011 Jagdeep Versus Lalit Godnama, Dt. 15-04-2002 hereby cancelled. The name of Father Lal Singh, Mother Sheela Devi endorsed the matric Certificate.

Thakur Joginder Singh,
S/o Late Shri Thakur Sant Ram Singh
R/o H.No. D-20,
Durga Colony, Roorkee,
Distt. Haridwar (U.K.).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 हिन्दी गजट/320–भाग 8–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।